

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

| | | | |
|----|---|----|--|
| 18 | राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ) | 18 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर विदिशा जिले में NH-346 (Old SH-19) के अन्तर्गत Vidisha-Mahulwa-Talbehat Section में फोरलेन निर्माण हेतु 2.33 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सागर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है। |
|----|---|----|--|

दिनांक: 22.11.2022

स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार)
अपर सचिव (अशोक कुमार)
म.प्र. शासन वन विभाग, अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)